न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 602 सन 2018
अनवान :–

1. विमला उर्फ बिमला पत्नी श्योराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 16.8.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 888 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 60 की कुल 5.0610हैक भूमि मे से वादीया का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता संख्या 73 के कुल किता 12 की 2.7830हैक भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि की वादीया बेवा कुनणराम खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादीया के पूर्व पति का नाम कुनणराम था वादीया के पति कुनणराम का देहान्त हो गया है वादीया ने अपने पति कुनणराम के देहान्त होने के बाद कुनणराम के भाई श्योराम से पुनः विवाह कर लिया तथा वादीया अब बतौर श्योराम की पत्नि के रूप मे जीवन यापन कर रही है।

रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 60 की कुल 5.0610हैक भूमि में से वादीया का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता सख्या 73 के कुल किता 12 की 2.7830हैक भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि की वादीया बेवा कुनणराम दर्ज है जबकि वादीया का पति वर्तमान में श्योराम है राजस्व रिकार्ड में पूर्व फोत पति का नाम दर्ज होने से वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम विमला पत्नि कुनणराम के स्थान पर विमला पत्नि श्योराम संशोधन करवा पाने की अधिकारी है वादीया के पित का नाम संशोधन किया जाने के आदेश फरमावे।

वादीया के पित का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है ना ही किसी काश्तकार को कोई हानी होती है मात्र राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

वादीया ने प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया इसलिये वादीया ने यह वाद पेश किया गया है अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादीया के पित का नाम कुनणराम के स्थान पर श्योराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादीया का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 के और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर जबाब पेश किया की रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 60 की कुल 5.0610हैक भूमि में से वादीया का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता संख्या 73 के कुल किता 12 की 2.7830हैक भूमि मे 1/4 हिस्सा भूमि की वादीया बेवा कुनणराम दर्ज है प्रार्थीया की शादी पूर्व में कुनणराम के साथ हुई थी जिनका देहान्त हो गया है उसके बाद प्रार्थीया ने कुनणराम के भाई श्योराम के साथ शादी कर ली परन्तु राजस्व रिकार्ड में पूर्व पति कुनणराम का नाम दर्ज चला आ रहा है प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैक खाता पास बुक, आदि में पति का नाम श्योराम दर्ज है इसलिये राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीया के पित का नाम कुनणराम के स्थान पर श्योराम संशोधन किया जाना उचित है। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीया के पूर्व पति का नाम कुनणराम था वादीया के पति कुनणराम का देहान्त हो गया है वादीया ने अपने पति कुनणराम के देहान्त होने के बाद कुनणराम के भाई श्योराम से पुन विवाह कर लिया तथा वादीया अब बतौर श्योराम की पत्नि के रूप में जीवन यापन कर रही है।

उपखण्डाधिकारी नोहर

रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 60 की कुल 5.0610हैक भूमि में से वादीया का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता संख्या 73 के कुल किता 12 की 2.7830हैक भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि की वादीया बेवा कुनणराम दर्ज है जबकि वादीया का पति वर्तमान में श्योराम है

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड में पूर्व फोत पति का नाम दर्ज होने से वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम विमला पत्नि कुनणराम के स्थान पर विमला पत्नि श्योराम संशोधन करवा पाने की अधिकारी है वादीया के पित का नाम संशोधन किया जाने के आदेश फरमावे।

वादीया के पित का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है ना ही किसी काश्तकार को कोई हानी होती है मात्र राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादीया के पित का नाम कुनणराम के स्थान पर श्योराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 60 की कुल 5.0610है० भूमि मे से वादीया का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता संख्या 73 के कुल किता 12 की 2.7830है० भूमि मे 1/4 हिस्सा भूमि की वादीया बेवा कुनणराम दर्ज है प्रार्थीया की शादी पूर्व मे कुनणराम के साथ हुई थी जिनका देहान्त हो गया है उसके वाद प्रार्थीया ने कुनणराम के भाई श्योराम के साथ शादी कर ली परन्तु राजस्व रिकार्ड में पूर्व पति कुनणराम का नाम दर्ज चला आ रहा है प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैक खाता पास बुक , आदि मे पति का नाम श्योराम दर्ज है इसलिये राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीया के पित का नाम कुनणराम के स्थान पर श्योराम संशोधन किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 60 की कुल 5.0610है० भूमि मे से वादीया का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता संख्या 73 के कुल किता 12 की 2.7830है० भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि की वादीया बेवा कुनणराम दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वादीया की शादी पहले कुनणराम से हुई थी जिनके देहान्त होने पर कुनणराम के भाई श्योराम से पुनः शादी की गई थी इसलिये वादीया के पिता कुनणराम के स्थान पर वर्तमान पति श्योराम का नाम अंकित किया जावे वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज के द्वारा स्वीकार किया जाकर नाम संशोधन करने की अनुशंषा भी की गई है।

वादीया के कथन की पहले उसने कुनणराम से शादी की गई थी जिसके देहान्त होने पर वादीया ने कुनणराम के भाई श्योराम से शादी की गई थी की पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान के द्वारा की जाकर प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है।

वादीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैक खाता की पास बुक , परिवार राशन कार्ड सभी वादीया का नाम विमला पत्नि श्योराम दर्ज है ।

इसप्रकार वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एव पेरोकार राज के द्वारा वादीया के कथनों को स्वीकार करने एव ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के प्रमाण पत्र के आधार पर वादीया का वाद काबिल डिक्री है।

अतः वादीया का वाद सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 60 की कुल 5.0610है० भूमि में से वादीया का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता संख्या 73 के कुल किता 12 की 2.7830है० भूमि मे 1/4 हिस्सा भूमि मे वादीया के पति का नाम कुनणराम दर्ज है के स्थान पर कनुणराम उर्फ श्योराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो यथावत रहेगा। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16·8·19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. विमला उर्फ बिमला पत्नी श्योराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 602 सन 2018 निर्णय दिनांक– 16.8.19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीया एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 60 की कुल 5.0610हैक भूमि में से वादीया का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 13 जीजीएम के खाता संख्या 73 के कुल किता 12 की 2.7830हैक भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि में वादीया के पति का नाम कुनणराम दर्ज है के स्थान पर कनुणराम उर्फ श्योराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो यथावत रहेगा। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.8.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner